न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बरही, हजारीबाग।

वाद सं0–113/2022 धारा–144 दं0प्र0स0

प्रभु महतो –बनाम– नागेश्वर महतो वगै0

तारिख	–: आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर :–	अभियुक्ति
	यह वाद आवेदक तथा इनके विज्ञ अधिवक्ता के आवेदन के आधार पर इनके विज्ञ अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्क के अनुसार दिनांक 23.06.2022 को द0प्र0स0 कि धारा 144 के तहत कार्रवाई को प्रारम्भ करते हुए दोनों पक्षों को विवादित भूमि पर जाने से 02 (दो) माह के लिए रोक लगाई गई।	

विवादी भूमि का ब्यौरा इस प्रकार है :–

मौजा– बिजैया, थाना–बरही,जिला–हजारीबाग।

खाता नं0	प्लौट नं0	रकबा	चौहदी
62	584	8 डी0	उ0– रोड द0– द्वितिय पक्ष पू0– प्रथम पक्ष प0– मनोज महतो एवं चन्द्रिका महतो

उभय पक्षों द्वारा अपने अपने पक्ष में कारण–पृच्छा एवं अन्य कागजातों की छायाप्रति दाखिल किया गया। उभय पक्षों द्वारा दाखिल कारण–पृच्छा एवं अन्य कागजातो के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादी प्रतिवादी प्रश्नगत भूमि के खतियानी रैयत बुधन महतो के वंशज है,विवाद हिस्सेदारी को लेकर है,जिसमें किसी प्रकार का आदेश पारित करना उचित प्रतित नहीं होता है। वादी/प्रतिवादी यदि चाहे तो मामले को सक्ष्म व्यवहार न्यायालय में दायर कर निपटारा कर सकते है।इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
बरही, हजारीबाग

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
बरही, हजारीबाग

Digitally signed by POONAM KUJUR
Date: 2023.02.09 11:53:34 +05:30
Location: 192.168.1.41